महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

40वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 07 जनवरी, 2022 (शुक्रवार)

समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 07.01.2022 (शुक्रवार)

समय : पूर्वाह्न 11:30 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत	1–2
1.	विद्या–परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि	3
2.	विद्या–परिषद की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई।	
3.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के भाषा, साहित्य तथा अनुवाद एवं निर्वचन ज्ञानानुशासन की विभागीय संरचना तथा उनकी पुनर्व्यवस्था।	
4.	शारीरिक शिक्षा विभाग खोलने की अनुमति	5
5	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	
	विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव	

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : **महादेवी वर्मा सभागार, तुलसी भवन विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा**

दिनांक : **07 जनवरी, 2022(शुक्रवार)**

समय : **पूर्वाहन 11:30 बजे**

विद्या–परिषद की 40वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2022 (शुक्रवार) को पूर्वान्ह 11.30 बजे साहित्य विद्यापीठ के महादेवी वर्मा सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी:

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	अधिष्ठाता : भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ निदेशक : विदेशी भाषा एवं अंतराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, प्रवासन एवं डायस्पोरा विभाग
3.	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट	प्रतिकुलपति निदेशक, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र
4.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ कुलानुशासक निदेशक, म.गां.फ्यु.गुरूजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग
5.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ निदेशक, भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र
6.	प्रो. अवधेश कुमार	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभागाध्यक्ष, मराठी, संस्कृत विभाग

7.	प्रो. वृषभ प्रसाद जैन	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
8.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
9.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
10	प्रो. प्रीति सागर	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
11.	प्रो. फरहद मलिक	प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग **(ऑनलाइन)**
12.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
13.	प्रो. शिरीष पाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
14.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	निदेशक, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, सिदो कान्हू मुर्मु दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र **(ऑनलाइन)**
15.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग
16.	प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर	विभागाध्यक्ष, शिक्षा एवं मनोविज्ञान विभाग
17.	प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग
18.	डॉ. मनोज कुमार राय	विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग **(ऑनलाइन)**
19.	डॉ. रविंद्र तु. बोरकर	विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
20.	डॉ. ओमप्रकाश भारती	विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग
21.	डॉ. सुप्रिया पाठक	विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग
22.	डॉ. जयंत उपाध्याय	विभागाध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग
23.	प्रो. कुमुद शर्मा	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
24.	प्रो. राजनारायण शुक्ल	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
25.	प्रो. एम. वेंकटेश्वर	बाह्य–विशेषज्ञ
26.	डॉ. एच.ए.हुनगुंद	एसोशिएट प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
27.	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	एसोशिएट प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
28.	डॉ. उमेश कुमार सिंह	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
29.	डॉ. के. बालराजू	एसोशिएट प्रोफेसर, म.गां.फ्यु.गुरुजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र
30.	डॉ. सुनील कुमार	सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
31.	डॉ. चित्रा माली	सहायक प्रोफेसर, क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता **(ऑनलाइन)**
32.	डॉ. संदीप कुमार वर्मा	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
33.	डॉ. राजेश लेहकपुरे	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
34.	डॉ. ओम प्रकाश प्रजापति	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
35.	डॉ. अजय कुमार सिंह	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
36.	श्री गौरव कुमार	छात्र प्रतिनिधि
37.	सुश्री हेमा ठाकुर	छात्रा प्रतिनिधि
38	श्री क़ादर नवाज़ ख़ान	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

विद्या–परिषद के सहयोग के लिये अधोलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :

1. श्री सुशील पखिडे — सहायक कुलसचिव
2. डॉ. राजेश्वर सिंह — सहायक कुलसचिव
3. श्री राजेश अरोड़ा — सहायक कुलसचिव
4. श्री के.के.त्रिपाठी — सहायक कुलसचिव

बैठक का आरंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुआ। तदुपंरात माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा नव नियुक्त सदस्य डॉ. उमेश कुमार सिंह, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. के.बालराजू, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, डॉ. चित्रा माली, सहायक प्रोफेसर, श्री. संदीप कुमार वर्मा, सहायक प्रोफेसर, डॉ. राजेश लेहकपुरे, सहायक प्रोफेसर का स्वागत किया तथा डॉ. रामानुज अस्थाना, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. अनिर्वाण घोष, सहायक प्रोफेसर, डॉ. अख्तर आलम, सहायक प्रोफेसर, डॉ. बीर पाल सिंह यादव, सहायक प्रोफेसर और श्री शरद जायसवाल, सहायक प्रोफेसर के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

साथ ही श्री गौरव कुमार, पीएच.डी. शोधार्थी तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थी के रूप में सुश्री हेमा ठाकुर का भी विद्या–परिषद में सदस्य के रूप में स्वागत किया तथा श्री वैभव उपाध्याय के प्रति उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

मद संख्या–1

विद्या–परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

विद्या–परिषद अवगत हुई कि दिनांक 13.12.2021 को संपन्न 39वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्माननीय सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गई थी। इस संबंध में कोई टिप्पणी अथवा सुझाव प्राप्त न होने के आलोक में विद्या–परिषद ने सम्यक विचार के उपरांत कार्यवृत्त पुष्टि की।

मद संख्या–2

विद्या–परिषद की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

दिनांक 24.11.2021 को संपन्न 38वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई का विद्या–परिषद ने संज्ञान लिया।

मद संख्या–3

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के भाषा, साहित्य तथा अनुवाद एवं निर्वचन ज्ञानानुशासन की विभागीय संरचना तथा उनकी पुनर्व्यवस्था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के भाषा, साहित्य तथा अनुवाद एवं निर्वचन ज्ञानानुशासन की विभागीय संरचना तथा उनकी पुनर्व्यवस्था पर विचार करने हेतु प्रतिकुलपति प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

प्रो. नीरजा गुप्ता, कुलपति, साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची, एवं प्रो. एम. वेंकटेश्वर, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय एवं हिंदी अध्ययन विभाग, हैदराबाद समिति के सदस्य थे।

वर्तमान विभागीय व्यवस्था और समिति द्वारा पुनर्व्यवस्था के संबंध में की गई निम्नलिखित अनुशंसाएँ / संस्तुतियाँ विद्या–परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई थी।

क्र.	विद्यापीठ का नाम	वर्तमान विभागीय व्यवस्था	समिति द्वारा प्रस्तुत पुनर्व्यवस्था
1.	भाषा विद्यापीठ	1.भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग 2.विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र 3.भारतीय भाषा विभाग 4.सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र	1. भाषाविज्ञान विभाग 2. भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग 3. विदेशी भाषा अध्ययन विभाग 4. भारतीय भाषा अध्ययन विभाग
2.	साहित्य विद्यापीठ	1. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग 2. संस्कृत विभाग 3. मराठी विभाग 4. नाट्यकला शास्त्र विभाग 5. सिनेमा अध्ययन विभाग	1. हिंदी विभाग 2. संस्कृत विभाग 3. मराठी विभाग 4. नाट्यकलाशास्त्र विभाग 5. सिनेमा अध्ययन विभाग **(समिति ने सुझाव दिया कि नाट्यकलाशास्त्र विभाग एवं सिनेमा अध्ययन विभाग को संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित करना अधिक उपयुक्त होगा।)**
3.	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	1. अनुवाद अध्ययन विभाग 2. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग	1. अनुवाद अध्ययन विभाग 2. तुलनात्मक साहित्य विभाग 3. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग 4.अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग **(समिति के बाह्य सदस्यों के सुझाव के अनुसार प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के उद्देश्यों का पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है)**

निर्णय : विद्या–परिषद ने चर्चा के उपरांत विभागीय पुनर्व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–4

शारीरिक शिक्षा विभाग खोलने की अनुमति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत **शारीरिक शिक्षा विभाग** खोलने की आवश्यकता है।

Power to make Statutes के तहत विश्वविद्यालय के अधिनियम के बिंदु 26(j) और 26(k) के उद्धरण इस प्रकार हैं :

26(j) : the conferment of autonomous status on an Institution or a Department

26(k): the establishment and abolition of Schools, Departments, Centres, Halls and Institutions

अधिनियम के बिंदु 27(2) का उद्धरण इस प्रकार है :

The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes reffered to in sub-section (1)

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council:

Provided further that the Executive Council shall not consider to make, amend or repeal any Staute relating to the matters provided under clauses (j) and (k) of section 26 except with the prior approval of the Visitor.

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद ने शारीरिक शिक्षा विभाग खोलने के लिए विश्वविद्यालय के अधिनियम के बिंदु 26(j) और 26(k) के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–5

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव

1. सभी ऑनलाइन कक्षा के रिकार्डिंग को विद्यार्थियों के लिए मूडल पर उपलब्ध कराया जाए।

निर्णय : विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

2. नव प्रवेशित विद्यार्थी/शोधार्थी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षारंभ आयोजित किया जाए।

निर्णय : अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में पहले भी दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है उसे आगे भी जारी रखने हेतु विद्या–परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

3. पी–एच.डी. शोधार्थियों को टीचिंग असिस्टेंस के तहत 10 क्रेडिट की पूति के लिए विभाग के अकादमिक कार्य जैसे कि शिक्षण आदि अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

निर्णय : पी–एच.डी. शोधार्थियों को टीचिंग असिस्टेंस के तहत 10 क्रेडिट की पूर्ति के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि आज दिनांक 07.01.2022 को विद्या–परिषद की बैठक से पहले आयोजित विश्वविद्यालय कोर्ट की प्रथम बैठक में विश्वविद्यालय का प्रगति विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, कोर्ट ने विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अकादमिक कार्यों की सराहना की। कोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन के साथ–साथ **हिंदू अध्ययन कार्यक्रम** प्रारंभ किया जाए। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में **बौद्ध अध्ययन और हिंदू अध्ययन के साथ–साथ जैन अध्ययन** प्रारंभ किया जायेगा जिसके लिए पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी के साथ दस वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है।

विद्या–परिषद ने दिनांक 08.01.2022 को आयोजित दीक्षांत समारोह के लिये स्नातक नामावाली का भी अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 08.01.2022 को आयोजित पंचम दीक्षांत समारोह एवं रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

धन्यवाद के ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

क़ादर नवाज़ 07/01/22

(क़ादर नवाज़ ख़ान)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा